221

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/1998 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–6–17 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 169/अपील/16–17.

परमानन्द आत्मज रामफूल
निवासी ग्राम पुराछिन्दवाड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

बृजमोहन आत्मज रामफूल
निवासी ग्राम पुराछिन्दवाड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री एच.आर. पटेल, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी.एम. विश्वकर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के प्रकरण कमांक 04/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29–5–17 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई, साथ ही स्थगन हेतु संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 169/अपील/16–17 दर्ज कर दिनांक 20–6–17 को स्थगन आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 52 में हुए संशोधन के फलस्वरूप तीन माह से अधिक अवधि के लिए स्थगन दिये

जाने का प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का प्रकरण प्राप्त होने तक स्थगन दिया गया है, जो कि पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश पारित करने में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 22–7–2016 को आदेश पारित कर स्पष्ट किया गया है कि उनके आदेश से उभय पक्ष के मध्य राजस्व न्यायालय में लम्बित कार्यवाहियां प्रभावित नहीं होगी, इसके बावजूद स्थगन देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के हिस्से में लगे ट्यूबवैल को आवेदक अपने हिस्से में बताकर हड़पने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे अनावेदक को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना थी, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि स्थगन देना अथवा नहीं देना पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित स्थगन आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने तक स्थगन आदेश पारित किया था, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । अब चूंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसील न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध है, अतः अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण में गुण–दोष पर निर्णय लेवें । अतः इस प्रकरण में यह आवश्यक है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय का अभिलेख अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का त्वरित निराकरण हेतु वापिस किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर